**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या 141**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**दत्तक-ग्रहण संबंधी मानदण्ड**

**\*141. श्री संजय राउत:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या मुम्बई और दिल्ली में नि:संतान माता-पिता द्वारा दत्ताक-ग्रहण किये जाने की प्रतीक्षा अवधि बहुत लम्बी है और क्या दत्तक-ग्रहण संबंधी प्रक्रिया अत्यन्त बोझिल और जटिल है;

(ख) : यदि हां, तो दत्तक-ग्रहण संबंधी मामलों का निपटान शीघ्र किए जाने हेतु मंत्रालय क्या-क्या कदम उठा रहा है;

(ग) : क्या यह सच है कि दत्तक-ग्रहण हेतु भारतीय माता-पिता की तुलना में विदेशों में रह रहे भारतीयों, प्रवासी भारतीयों अथवा विदेशियों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(घ) : यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार दत्तक-ग्रहण संबंधी मानदण्ड में परिवर्तन किए जाने पर विचार कर रही है?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

**''दत्तक-ग्रहण संबंधी मानदण्ड'' विषय पर श्री संजय राउत द्वारा दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 141 के उत्‍तर में संदर्भित विवरण**

(क) और (ख) : किसी बच्‍चे को गोद लेने के लिए गोद लेने वाले संभावित अभिभावकों (पीएपी) के लिए प्रतीक्षा अवधि उनकी आवश्‍यकता के अनुरूप गोद लेने योग्‍य बच्‍चे की उपलब्‍धता तथा दत्‍तक ग्रहण एजेंसी के यहां पंजीकृत पीएपी की संख्‍या पर निर्भर होती है । बाल दत्‍तक ग्रहण संसाधन सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली (केयरिग्‍ंस), जो दत्‍तक ग्रहण के लिए एक वेब आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली है, पर उपलब्‍ध सूचना के अनुसार, किसी बच्‍चे को गोद लेने के लिए मुम्‍बई एवं दिल्‍ली में पीएपी के लिए प्रतीक्षा अवधि एक से तीन वर्ष के बीच है ।

‘बच्‍चों के दत्‍तक ग्रहण को अभिशासित करने वाले दिशानिर्देश 2011’ को लागू करने से दत्‍तक ग्रहण की प्रक्रिया सरल एवं त्‍वरित हुई है, जिसमें अन्‍य बातों के साथ दत्‍तक ग्रहण की प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले प्रमुख चरणों के लिए अनुसूची 8 के अंतर्गत समय-सीमा निर्धारित की गई है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पूरे देश में दत्‍तक ग्रहण की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने तथा उसकी निगरानी करने के लिए केयरिग्‍ंस की भी शुरूआत की है ।

इसके अलावा, 2009 में शुरू की गई महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सरकार की समेकित बाल संरक्षण स्‍कीम (आईसीपीएस) के अंतर्गत, राज्‍य में दत्‍तक ग्रहण की प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए राज्‍य दत्‍तक ग्रहण एजेंसी (एसएआरए) तथा उनके कार्यकरण में सहायता प्रदान करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्‍त दत्‍तक ग्रहण एजेंसियां स्‍थापित करने के लिए राज्‍य सरकारों को वित्‍तीय सहायता दी जाती है ।

(ग) : जी, नहीं । जैसा कि ‘बच्‍चों के दत्‍तक ग्रहण को अभिशासित करने वाले दिशानिर्देश 2011’ के पैरा 3(ख) और 8(5) में निर्धारित किया गया है, देश के अंदर दत्‍तक ग्रहण में बच्‍चों को डालने को वरीयता दी जाती है ।

(घ) : उपर्युक्‍त (ग) के मद्देनज़र प्रश्‍न नहीं उठता ।

\*\*\*\*\*